

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अधीकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

चण्डा बनाम मचाराम एफ मनेन वोरन
वोरन

शाणवाड 68 नम्बर 2021

सन् 2021

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (A) 53 RTA Act

| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए |
|--|--|
| <p>25/10/2021</p> <p>वकील वादीगण उपस्थित । वकील वादीगण ने वाड अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (A) 53, RTA Act 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादी उस्तुत किया है। वाड दर्ज रिप्लायर है। प्रतिवादीगण जदिये समस्त तालव है। पत्रावली वाले जबाब दावा हेतु आग्रह दिनांक 08/11/2021 को पेश है।</p> | |
| <p>08/11/2021</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 08/11/2021 को पेश हो।</p> | <p>ओर सीआर डक्टरेटिंग गाम्बर ए</p> |
| <p>18/11/2021</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक..... को पेश हो। पत्रावली से प्रतिवादी सम्पत्ता 6, 7, 12 से 26 व 28 के समस्त तामिल मुदा जाल के माफिक पत्रावली के अग्र सम्मत अग्र तामिल जाल हुए। पत्रावली आग्रह दिनांक 16/12/2021 को पेश है।</p> | <p>29 उपो 18-11-21 आग्रह सुजाजाधा</p> |
| <p>16/12/2021</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 16/12/2021 को पेश हो।</p> | |

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

7/5/2024

वादिनी मदन वकील उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से डी।ए. उपस्थित। वकील वादिनी ने प्रार्थना-पत्र पढ़ा दिया। कोर्ट ने प्रतिवादी से पत्रावली तलब करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रतिवादी को प्रार्थना-पत्र पढ़ने का आदेश दिया। पत्रावली निमत विधी क्रि. सं. 1-5-2004 के तलब की जाकर कोर्ट पर ली गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अधिवक्ता प्रतिवादी को डिलिजि गई।

C.M. 3
(च-51)

~~DP 12~~

पत्रावली का निवारेण किया गया। अधिवक्ता को से भठ प्रस्तुत होता है कि प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से काउन्सिलर प्रस्तुत नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वकील वादिनी मदन वादिनी को हुआ गया। वादिनी की इच्छा है कि वादिनी उक्त वाद को छोड़ चलाता नहीं चलेगी है। जस्टिस विडोल वादिनी ने वाद को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया। मुलाकीस वादिनी के प्रार्थना-पत्र अनुसार वाद वादिनी जस्टिस विडोल खारिज किया जाता है।

आदेश क्रि. सं. 7/5/2024 को सेर इजलास हुआ। पत्रावली के लिये धुमार लेकर वाद तलब जा रहा।

विजय धार
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसरी (पाली)